नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 187/2011 निर्णय दिनांक :–19.04.2022

दीवानी दावा :

1. गुलाब धर्म पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
2. रतनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
3. जतनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
4. मदनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
3. जिला कलेक्टर टोंक।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री रामदेव वर्मा — **अधिवक्ता वादी**

पेरोकार सरकार — **प्रतिवादी संख्या 1 व 2**

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण से वादी नं 1 स्व0 बजरंगलाल पुत्र गैंदीलाल की धर्मपत्नी है तथा वादी नं 2 रतनलाल वादी नं 3 जतनलाल तथा वादी नं 4 मदनलाल स्व0 बजरंगलाल के पुत्र है और इस प्रकार वादीगण स्व0 बजरंगलाल के उत्तराधिकारी है। स्व0 बजरंगलाल की ख0नं0 साबिक 3/ 3 मे रकबा 10 बीघा भूमि वाके ग्राम अरनियां तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे दिनांक 3.6.1968 को आवंटित हुई थीं। जिस पर स्व0 बजरंगलाल को कब्जा संभला दिया था तथा दिनांक 4.7.69 की गैर खातेदारी तथा दिनांक 20.10.78 की खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर जमाबंदी मे खातेदारी मे इन्द्राज हो गया था, और इस प्रकार उक्त भूमि पर पूर्व में स्व0 बजरंगलाल जी का कब्जा चला आ रहा था, जिनके साथ वादीगण भी मौके पर काश्त करते थे। श्री बजरंगलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है उक्त स्वर्गवास दिनांक 4.3.2006 को हुआ है। जब

देवली मे नया सेटिलमेंट हुआ तो ख0नं0 3 के नये ख0नं0 27 रकबा 2.50 है0 व ख0 नं0 27/459 रकबा 2.41 है0 हुए। स्व0 बजरंगलाल जी को ख0नं0 3/3 मे से भूमि आवंटित हुई थी, और जो भूमि स्व0 बजरंगलाल जी को आवंटित हुई उसके बाद जब कब्जा दिया गया तो उसका नंबर 3/3 डाला गया। ख0नं0 27 रकबा 2.50 है0 की खातेदारी चन्द्रा पुत्र मांगीलाल बलाई निवासी बीजवाड के नाम दर्ज है लेकिन सेटिलमेंट अधिकारी जी ने जानबूझकर बिना किसी आधार के स्व0 बजरंगलाल जी के कब्जे काश्त की भूमि जिसका नया नंबर 27/ 459 रकबा 2.41 है0 हुआ उसे सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर कब्जा स्व0 बजरंगलाल जी जब तक जीवित थे उनका कब्जा था ओर अब वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है। जब बजरंगलाल जी का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद वादीगण ने भूमि का किसान कार्ड बनाने के लिए पटवारी जी से बात की तो उन्होने बताया कि स्व0 बजरंगलाल जी के नाम से कोई खाता नही है, बल्कि बजरंगलाल जी के कब्जे की भूमि सिवायचक दर्ज है जिसका ज्ञान चार माह पूर्व हुआ, उसके बाद वादीगण ने तहसील देवली से पुराना रिकार्ड हासिल किया, उसके बाद धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिये, लेकिन नोटिस के बावजूद भी वादीगण के नाम खातेदारी अंकित नही की गई। इसलिए अब वाद उदघोषणा का पेश किया जा रहा है। यह घोषित किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है कि वादीगण आराजी ख0नं 3/3 हाल ख0नं0 27/ 459 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम अरनिया तह0 देवली जिला टोंक के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कराई जाकर वादीगण का नाम खातेदारी मे अंकित कराया जावे। यद्वपि जो नया नंबर का रकबा 2.41 है0 दर्ज किया है, वह स्व0 बजरंगलाल को आंवटित हुई 10 बीघा भूमि मे से 9 एयर भूमि कम है जो जानबूझकर सेटिलमेंट अधिकारियों ने कम है0 दर्ज किया, जिसके लिए अलग से कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवादीगण अब वादीगण की उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने से अन्य व्यक्तियों को आवंटित करने पर आमादा है तथा वादीगण की बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, इसलिए उन्हे जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ख0नं0 27/459 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम अरनिया तहसील देवली को अन्य किसी व्यक्ति की आंवटित नही करे ना वादीगण के कब्जे मे मजाहमत करे ना उन को बेदखल करे। यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नही किया गया तो वादीगण अपने वैध अधिकारो से वंचित हो जावेगे और उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। बिना दावाय दिनांक 2.10.2008 को धारा 80 सीपीसी के नोटिस देने के बाद और प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी नोटिस की अवधि मे वादीगण के नाम खातेदारी अंकित नही करने पर पैदा हुई।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:—पेरा नं 1 वादीया स्वंय सिद्व करें। पेरा नं 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। पेरा नं 3 मे मृत्यु प्रमाण पत्र अपेक्षित है। पेरा नं 4 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के स्वीकार है। पेरा नं 5 अस्वीकार है। हाल ख0नं0 27/459 पर वादी का कब्जा 0.50 है0 भूमि पर मुताबिक पी 14 के दर्ज है

ख0नं0 27/459 मुताबिक शीट के ख0नं0 4 से बना है जो वादी के हक मे आंवटन नही नहै। पेरा नं 6 कानूनी है। पेरा नं 7 अस्वीकार है। पेरा नं 8 अस्वीकार है। पेरा नं 9 कानूनी है। पेरा नं 10 माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः हाल ख0नं0 27/459 साबिक एंव हाल शीट का मिलान करने पर ख0नं0 साबिक ख0नं0 4 से बना है। जो वादीगण के नाम आंवटन नही है। अतः वादी को खातेदारी देय नही है वाद पत्र निरस्त योग्य है।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 गुलाब पत्नी स्व. बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड़ तहसील देवली हाल बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेंर, पी. डब्ल्यू–2 मदनलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड़ तहसील देवली हाल बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेंर पी. डब्ल्यू–3 रतनलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति नाई उम्र 56 वर्ष निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–4 जतनलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति नाई उम्र 56 वर्ष निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, पी. डब्ल्यू–5 रतनलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी अरणिया (बीजवाड़) तहसील देवली जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–6 मदन पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीणा वर्ष निवासी अरणिया (बीजवाड़) तहसील देवली जिला टोंक के पेश किये।

वादीगण ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 से 3 प्रपत्र पी. 14 सम्वत 2064, 2063 व 2062 प्रदर्श–4 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–5 व 6 नोटिस प्राप्ति की रसीदे प्रदर्श–7 व 8 डाकघर की रसीदे है। प्रदर्श–9 व 10 प्रपत्र पी. 14 सम्वत 2064 व 2063 प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2062 से 2065 प्रदर्श–12 हाल नक्शा सीट, प्रदर्श–14 व 15 साबिका नक्शा सीट प्रदर्श–16 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श–17 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–18 कृषि भूमि की आवन्टन आज्ञा, प्रदर्श–19 जमाबन्दी सम्वत 2024 से 27, प्रदर्श–20 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–21 व 22 नामांतकरण प्रदर्श–23 व 24 खसरा गिरदावारी सम्वत 2039 व 2040–43 प्रदर्श–25 श्रीमान सहायक जिलाधीश महोदय, टोंक केम्प कोट नासिरदा तह0 देवली प्रदर्श–26 पी. 14 सम्वत 2062 प्रदर्श–27 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 पेश किये है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादीसाक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्यतया वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि हाल ख. नं. 27/459 साबिक ख. नं. 3/3 से बना है जो वादीगण के पिता/पति को आवंटित हुई थी। और आवंटी को गैरखातेदारी व बाद में खातेदारी भी दी गई है। नक्शा शीट का मिलान नहीं हो रहा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी भूमि को

बिना किसी सक्षम आदेश/नियम के सिवायचक कर दिया जबकि उनको पूर्व प्रविष्टि को ही दोहराना था। आवंटन के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद को [...]ीकार कर डिकी किया जावे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आया वादीया विवादित आराजी ख0नं0 27/459 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम अरनिया तह0 देवली को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एंव राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने तथा प्रतिवादीगण मे स्थायी निषेधाज्ञा से अन्य किसी के आंवटन नही करने व कब्जे काश्त मे मजामहत नही करने बाबत पाबंद करने के हकदार है। –वादीगण–**

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श–18 कृषि भूमि के आवन्टन की आज्ञा जिसमें वादी को साबिक ख. नं. 3 में 10 बीघा भूमि का आवंटन दर्शित है। प्रदर्श–19 बजरंगा पुत्र गेन्दीलाल कोम नाई सा. देह गैर खातेदारी ख. नं. 3/3 रकबा 10 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–20 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में साबिक ख. नं. 3 मिन रकबा 10 बीघा से ख. नं. 27 रकबा 2.50 है0 बनना दर्शित है परन्तु ख. नं. 27/459 रकबा 2.41 है0 के सामने साबिक ख. नं. दर्शित नहीं है। प्रदर्श–1 से 3 प्रपत्र पी. 14 सम्वत 2064, 2063 व 2062 के अनुसार केवल 0.50 है0 पर काश्त दर्शित है। प्रदर्श–17 ख. नं. 27 रकबा 2.50 है0 जो चन्दा बलाई की खातेदारी में दर्ज है। उक्त दस्तावेज व अन्य प्रदर्शो का अवलोकन, विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आते है कि बजरंग लाल को 03.06.1969 को ख. नं. 3 में 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ। दिनांक 04.07.1969 को गैर खातेदारी दी गई और खातेदारी दिनांक 20.10.1978 को मिली। वादीगण द्वारा बजरंगलाल को कब्जा सुपुर्दगीनामा व बजरंगलाल की मृत्यु के बाद वादीगण ने अपने कब्जे सम्बन्धी कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये है। मिलान क्षैत्रफल में साबिका ख. नं. 3 मिन रकबा 10 बीघा से ख. नं. 27 रकबा 2.50 है0 बना दिया परन्तु 27/459 का साबिक ख. नं. उल्लेखित नहीं है। वादीगण द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों में पी. डब्ल्यू–1 से 4 स्वयं वादीगण है तथा पी. डब्ल्यू–5 व 6 स्वतंत्र साक्ष्य है। वादीगण मिलान क्षैत्रफल से यह साबित करने में असफल रहे कि हाल ख. नं0 27/459 किस साबिका ख. नं. से बने है। अतः मिलान क्षैत्रफल से साबिका ख. नं. से विवादित ख. नं0 का मिलान नहीं होने कब्जा सुपुर्दगीनामा व लगातार कब्जेकाश्त के राजस्व दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण यह तनकी विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया विवादित आराजी ख0नं0 27/459 साबिक एंव हाल शीट के मिलान करने पर ख0नं0 4 से बना है जो वादी को आंवटित नही है जिससे खातेदारी देय नही है? –प्रतिवादीगण–**

तनकी नं 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। हाल नक्शा शीट व साबिका नक्शा शीट का मिलान करने पर स्पष्ट है कि हाल ख. नं0 27/459 साबिक

ख. नं. 4 मिन से बना है। जमाबन्दी सम्वत 2024–27 में साबिक ख. नं. 4 सिंचाई विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज था । इस तनकी को हाल नक्शा शीट व साबिका नक्शा शीट से साबित करने के आधार पर इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट नही है कि ख. नं. 27/459 किस खसरा नम्बर से बना है। आराजी ख. नं. 27/459 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम अरनिया पटवार क्षैत्र बीजवाड़ तहसील देवली भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक राजस्व दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
...ज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली
व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..
उनवानी दावा :

1. गुलाब धर्म पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
2. रतनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
3. जतनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।
4. मदनलाल पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति नाई निवासी बीजवाड तहसील देवली हाल निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर राज0।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
3. जिला कलेक्टर टोंक।

— प्रतिवादीगण —

<u>दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>मुकदमा नं. 187 सन् 2011</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामदेव वर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट नही है कि ख. नं. 27/459 किस खसरा नम्बर से बना है। आराजी ख. नं. 27/459 रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम अरनिया पटवार क्षैत्र बीजवाड़ तहसील देवली भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक राजस्व दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....

...........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

19.4.22

सखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 04 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए